

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग।


आदेश

श्री गंगा सागर प्रसाद, तत्कालीन बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लोक सूचना पदाधिकारी नामित किया गया था। इनके स्थानान्तरण के फलस्वरूप श्री वीरेन्द्र प्रसाद, बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग, बिहार, पटना का लोक सूचना पदाधिकारी नामित किया जाता है।

ह0/-
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/स्था0 (मु0) 18/2013...5437...दिनांक- 10-11-15

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/कारा निरीक्षणालय के सभी पदाधिकारियों तथा श्री वीरेन्द्र प्रसाद, बंदी कल्याण पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।